भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में राष्ट्रीय नीति

1. प्रस्तावना

1.1 भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकारों के विस्तृत उपबंध हैं और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का भी निर्धारण है जो एक लक्ष्य निर्धारित करता है जिसके लिए राज्य के क्रियाकलाप निर्देशित किए जाने होते हैं।

1.2 इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों में व्यवस्था है :

(क) कर्मचारियों, पुरूषों तथा महिलाओं की स्वास्थ्य और क्षमता को हासिल करना;

(ख) कि बच्चों की सुकुमार आयु का दुरूपयोग न हो;

(ग) कि नागरिकों को अपनी आयु और क्षमता अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश के लिए आर्थिक जरूरत के लिए मजबूर न किया जाए;

(घ) न्यायोचित और मानवोचित कार्यदशाएं तथा प्रसूति राहत प्रदान किए जाएं; और

(ङ) कि सरकार उपक्रमों, प्रतिष्ठानों अथवा किसी उद्योग में लगे अन्य संगठनों में कर्मचारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समुचित विधान अथवा किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगी।

1.3 इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों तथा अन्तर्राष्ट्रीय लिखतों के आधार पर, सरकार कार्यस्थलों पर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबंधन तथा उपाय करने के लिए सभी आर्थिक क्रियाकलापों को विनियमित करने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि राष्ट्र में प्रत्येक कामकाजी पुरूष और महिला के लिए सुरक्षित तथा स्वस्थ कामकाजी दशाएं सुनिश्चित की जा सकें। सरकार मानती है कि कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का उत्पादकता एवं आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निवारण आर्थिक क्रियाकलापों का एक अन्तरंग भाग है क्योंकि कार्य पर उच्च सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक का उतना ही महत्व है जितना नए तथा विद्यमान उद्योगों के लिए अच्छे व्यवसाय निष्पादन हेतु महत्वपूर्ण है।

1.4 कार्यस्थलों पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में नीति, प्राथमिकताएं और रणनीतियां बनाने का कार्य ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक भागीदारों के परामर्श से राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। निवारण सुनिश्चित करने और इलाज, सहायता एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए भी सरकार और सामाजिक भागीदारों, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संगठनों द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

1.5 भारत सरकार का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षित, स्वच्छ पर्यावरण के साथ-साथ स्वस्थ कामकाजी दशाओं के बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक वृद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती है और यह कि सुरक्षित और स्वस्थ्य कामकाजी पर्यावरण को मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण परामर्श तथा सूचना का आदान-प्रदान और अच्छी प्रथाएं निवारण तथा ऐसे उपायों के संवर्धन हेतु आवश्यक हैं।

1.6 नौकरियों तथा कामकाजी संबंधों के बदल रहे स्वरूप, स्व-रोजगार में वृद्धि, बढ़ रही उप-ठेकेदारी, कार्यों को बाहर से कराने की प्रथा, गृहकार्य तथा

अपने प्रतिष्ठान से दूर रह कर कार्य करने वाले कर्मचारियों की बढ़ रही संख्या से कार्यस्थलों पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबंधन की समस्याएं आती हैं। इसके अलावा, अच्छी तरह से जाने जाने वाले अधिकांश परंपरागत जोखिम कार्यस्थल पर तब तक बने रहेंगे जब तक इन जोखिमों से पड़ने वाले प्रभाव पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं किया जाता है। जबकि प्रौद्योगिकी में वृद्धि से कार्यस्थल पर जोखिम न्यूनतम हुए हैं अथवा समाप्त हुए हैं, वहीं उनके स्थान पर नये जोखिम उभर सकते हैं जिन्हें हल किए जाने की जरूरत है।

1.7 जोखिम बहुल दशाओं यथा प्रवासी कर्मचारियों और कर्मचारियों के संवेदनशील समूहों तथा लगातार अथवा साथ-साथ अनेक नियोक्ताओं के साथ कार्यरत अधिक लोगों के साथ श्रम बल के अधिक आवागमन से होने वाले जोखिम से खतरनाक प्रचालनों और कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

1.8 रसायनों के बढ़ते उपयोग, लोगों के लिए अनजान जोखिम संभाविता के साथ शारीरिक, रासायनिक और जैविक तत्वों से हानि; कीटनाशी सहित कृषि रसायनों, कृषि मशीनों और उपकरणों का अंधाधुंध प्रयोग; कम्प्यूटर नियंत्रित प्रद्योगिकियों के प्रभाव और तमाम आधुनिक नौकरियों में कार्य के समय खतरनाक स्थिति तक तनाव के बढ़ने से सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जोखिमों पर प्रभाव पड़ता है।

1.9 कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी इस राष्ट्रीय नीति का मौलिक प्रयोजन न केवल कार्य से जुड़ी चोटों, बीमारियों, घातक दुर्घटनाओं, आपदा तथा राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों की हानि से संबंधित कार्य की घटनाओं का उन्मूलन करना और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण निष्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करना सुनिश्चित करना है बल्कि बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और

समाज की खुशहाली में वृद्धि भी करना है | इस क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन स्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों पर समन्वित राष्ट्रीय प्रयास के ध्यान केन्द्रण के आधार पर होंगे |

1.10 प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग राष्ट्रीय नीति के आधार पर दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके कामकाजी पर्यावरण से संगत अपनी विस्तृत नीति तैयार करेगा |

2. लक्ष्य

सरकार का दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीय निवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाना और उसका रख-रखाव करना समय की मांग है | ऐसी संस्कृति का विकास करने और कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है :-

2.1 निर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों के संबंध में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर सांविधिक ढांचे की व्यवस्था करना, बेहतर अनुपालन के लिए अनुपालन, प्रवर्तन तथा प्रोत्साहनों की उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियाँ तैयार करना।

2.2 प्रशासनिक एवं तकनेकी सहायता सेवाएं उपलब्ध कराना।

2.3 उच्चतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों को प्राप्त करने के लिए नियोजकों तथा कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहनों की प्रणाली की व्यवस्था करना।

2.4 सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की प्रणाली की व्यवस्था करना।

2.5 खतरे के उभर रहे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास सामर्थ्य की स्थापना तथा विकास करना एवं प्रभावी नियंत्रण उपायों की व्यवस्था करना।

2.6 कार्य से संबंधित चोटों तथा बीमारियों के संबंध में उन्नत आँकड़ा संकलन प्रणाली के माध्यम से निवारक रणनीतियों तथा अनुवीक्षण निष्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना।

2.7 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में अपेक्षित तकनीकी जनशक्ति और जानकारी विकसित करना तथा उपलब्ध कराना।

2.8 अन्य संगत राष्ट्रीय नीतिगत दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के समावेश, कार्यस्थलों पर सुधार को बढ़ावा देना।

2.9 प्रत्येक प्रचालक के अभिन्न भाग के रूप में सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य को शामिल करना।

3. उद्देश्यः

3.1 नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्यों पर कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में सुधार के लिए एक कदम के रूप में ध्यान केन्द्रित करना है। निम्नलिखित उद्देश्यों को को प्राप्त करना हैः-

क) कार्य से संबंधित चोटों, मृत्यु, बीमारियों, आपदाओं और राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों को क्षति की घटना में निरंतर कमी लाना।

ख) कार्य से संबंधित चोटों, मृत्यु तथा बीमारियों की उन्नत कवरेज तथा बेहतर निष्पादन और अनुवीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक और अधिक व्यापक आँकड़ा आधार उपलब्ध कराना।

ग) कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्रों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बारे में सामुदायिक जागरूकता में निरंतर वृद्धि करना।

घ) कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों की सामुदायिक अपेक्षा में निरंतर वृद्धि करना।

ङ) स्थायी उद्यम विकास में योगदान देकर च्हरित कार्यछ के सृजन द्वारा कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में सुधार लाना।

4. कार्रवाई कार्यक्रमः

उपर्युक्त पैरा 2 और 3 में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया जाता है और जहाँ आवश्यक होगा वहाँ समयबद्ध कार्रवाई कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा, अर्थातः्-

4.1 प्रवर्तन

4.1.1 प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास के लिए प्रभावी प्रवर्तन तंत्र तथा उपयुक्त उपबंधों का प्रावधान करके;

4.1.2 एक पर्याप्त एवं प्रभावी श्रम निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से सभी आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित लागू किये जाने योग्य सभी कानूनों तथा विनियमों को प्रभावी रूप से प्रवर्तित करके;

4.1.3 नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आर्थिक सहायता तथा ऋण उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त योजनाओं की स्थापना करके;

4.1.4 यह सुनिश्चित कर कि सुरक्षित और स्वास्थ्यकर कामकाजी परिस्थितियों के लिए नियोक्ताओं, कर्मचारियों और अन्य की अलग-अलग किन्तु पूरक जिम्मेदारियां और अधिकार हैं;

4.1.5 सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी मौजूदा कानूनों में तेजी से संशोधन कर और उन्हें संगत अंतर्राष्ट्रीय लिखतों के अनुरूप बनाकर;

4.1.6 विनियामक प्राधिकरणों के जरिए राष्ट्रीय मानदंडों के अंगीकरण का अनुवीक्षण कर;

4.1.7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरणों के बीच सर्वोत्तम व्यवस्थाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा बहाल कर;

4.1.8 कार्यस्थल पर बेहतर निष्पादन के प्रोत्साहन और सुनिश्चयन हेतु वित्तीय प्रोत्साहनों सहित नवीन और अभिनव प्रवर्तन पद्धतियों का विकास कर;

4.1.9 कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सक्षम विधान बनाकर;

4.1.10 यथोचित रूप से सुरक्षा और स्वास्थ्य समितियों का गठन कर;

4.2 राष्ट्रीय मानक

4.2.1 अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी आर्थिक क्रियाकलापों में राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी

समुचित मानकों, व्यवहार संहिताओं और मैनुअलों का विकास कर और पणधारियों द्वारा सच्ची भावना से कार्यान्वयन कर;

4.2.2 अनुप्रयोज्य नीति, दस्तावेजों, संहिताओं, विनियमों और मानकों से पणधारियों को सुनिश्चित रूप से जागरूक बनाकर;

4.3 अनुपालन

4.3.1 समुचित सरकार को कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रशासन के प्रवर्तन हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व लेने,कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी जरूरत और उत्तरदायित्व की पहचान में सहायता देने, अनुप्रयोज्य अधिनियमों के उपबंधों के अनुरूप योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करने और तत्संबंधी प्रायोगिक और प्रदर्शन परियोजनाएं करने के लिए प्रोत्साहित कर;

4.3.2 कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी विधानों और विनियमों के अनुप्रयोग के पर्यवेक्षण में सामाजिक भागीदारों से सहयोग लेकर;

4.3.3 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रति प्रणालीगत दृष्टिकोण द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का निरंतर संवर्द्धन जिसमें व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली संबंधी दिशा-निर्देश का विकास करना, स्वैच्छिक कार्यों का सुदृढ़ीकरण सहित स्वनियामक अधिमत हेतु तंत्र और लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित करना शामिल है ताकि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों की जांच और उनका प्रमाणीकरण हो सके;

4.3.4 संकट निरोध के लिए विशेष उपाय कर और विभिन्न स्तरों पर, खासकर अधिक जोखिम वाले औद्योगिक जोनों में कार्रवाईयों का समन्वय और विनिर्देश कर;

4.3.5 सर्वोत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मान्यता देकर तथा उनके अंगीकरण हेतु सुविधा प्रदान कर;

4.3.6 कानूनों के उल्लंघनों को रोकने के लिए फिलहाल समुचित दांडिक उपबंध बनाकर;

4.3.7 कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी निष्पादनों को बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधितों को, "जिम्मेदारी पूर्ण सावधानी" बरतने और/या "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" का अंगीकरण और निर्वाह करने हेतु प्रोत्साहित कर;

4.3.8 एकरूपता और वृहत्तर कवरेज हेतु तथा सुरक्षित प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण के लिए, कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी संस्थाओं, पेशेवरों और सेवाओं को मान्यता देने हेतु उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित कर;

4.3.9 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों के सुनिश्चयन तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य संवर्द्धन के प्रभावी उपाय करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित कर;

4.3.10 न्यूमोकोनियोसिस और सिलिकोसिस जैसे व्यावसायिक रोगों पर ध्यान केन्द्रित कर; इसके निरोध और नियंत्रण के लिए व्यवस्था विकसित कर तथा इसके लिए तकनीकी मानकें और दिशानिर्देशों का विकास कर;

4.3.11 मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिमकारी तत्वों की जगह स्वच्छ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी को शीघ्रता से बढ़ावा देकर;

4.4 जागरूकता

4.4.1 समुचित उपायों के जरिए कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाकर;

4.4.2 कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय मुद्दों पर नियोक्ता प्रतिनिधियों, कर्मचारी प्रतिनिधियों और समुदाय के साथ परामर्श हेतु मंच उपलब्ध कराकर ताकि जाकरूकता सृजन और राष्ट्रीय उत्पादकता का समग्र लक्ष्य प्राप्त किया जा सके;

4.4.3 संयुक्त श्रम-प्रबंधन प्रयासों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का संचयन, संरक्षण और संवर्धन तथा रोजगार के कारण लगने वाली चोटों और रोगों में कमी लाते हुए;

4.4.4 संरचनागत, श्रोता विशेष दृष्टिकोण के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करते हुए;

4.4.5 इस प्रकार की जागरूकता और सूचना पहलों के प्रभाव का निरन्तर मूल्यांकन करते हुए;

4.4.6 अनुभव का आदान-प्रदान करते हुए जागरूकता अभियान में ठोस निवेश से उच्चतम लाभ प्राप्त करते हुए;

4.4.7 स्कूलों, तकनीकी, चिकित्सा, पेशेवर तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में उपयुक्त रूप से कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी शैक्षिक इनपुट्स समाविष्ट करते हुए;

4.4.8 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अच्छी जनसंपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए;

4.4.9 जहां आवश्यक हो वहां चिकित्सा मानदण्डों का प्रावधान करते हुए, जिससे जहां तक व्यावहारिक हो यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर अपने कार्यकलापों के परिणामस्वरूप गिरती हुए सेहत, कार्यात्मक क्षमता अथवा संभावित आयु से पीड़ित नहीं होगा और इस प्रकार के व्यावसायिक रोगों की चपेट में आने पर उसकी उपयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति की जाए;

4.4.10 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कामगारों और उनके प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सभी उपायों में परामर्श, प्रशिक्षित, सूचित तथा शामिल किया जाता है, रोजगार स्थलों पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों में कमी लाने तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों पर नए कार्यक्रम स्थापित करने के लिए जोर डालने तथा कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्यदशाएं प्रदान करने हेतु विद्यमान कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों को उनके प्रयासों में व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए;

4.5 अनुसंधान और विकास

4.5.1 सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को शामिल करते हुए, कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान प्रदान करते हुए कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के संबंध में कम्प्यूटर से सहायता प्राप्त जोखिम मूल्यांकन तरीकों तथा दृष्टिकोणों सहित अभिनव पद्धतियां, तकनीकें विकसित करते हुए;

4.5.2 रोगों और कार्य वातावरण के बीच संबंधों को स्थापित करते हुए अप्रकट रोगों की खोज करने के तरीकों का पता लगाते हुए, व्यावसायिक रोगों की सूची अद्यतन करते हुए और कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी अन्य अनुसंधान का आयोजन करते हुए ;

4.5.3 राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुसार अनुसंधान प्राथमिकताएं स्थापित करते हुए; विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान निकायों के साथ भागीदारियों का पता लगाते हुए और संपर्क में सुधार करते हुए;

4.5.4 ऐसे प्रयोजनों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक समन्वित अनुसंधान दृष्टिकोण तथा संसाधनों का अधिकतम आबंटन सुनिश्चित करते हुए;

4.6 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कौशल विकास

4.6.1 सुरक्षित और स्वस्थ कार्यदशाओं में सुधार हेतु नियोक्ता तथा कर्मचारी पहल के माध्यम से पहले से किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए;

4.6.2 कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की संख्या और सक्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हुए;

4.6.3 दुर्घटनाओं को रोकने अथवा जहां तक व्यावहारिक हो उनमें कमी लाने को ध्यान में रखते हुए नियोक्ता और कर्मचारी संगठनों को एक समुचित तरीकों से सूचना तथा सलाह प्रदान करते हुए;

4.6.4 कर्मचारी के स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन तथा कार्यदशाओं में सुधार पर लक्षित व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करते हुए और

इन सेवाओं तक आर्थिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की पहुंच की व्यवस्था करते हुए;

4.6.5 लघु व्यापार पद्धतियों सहित प्रबंधन प्रशिक्षण में भी व्यावसायिक, पेशेवर तथा श्रम संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुरक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ते हुए;

4.6.6 कार्यस्थल पर उद्योग कार्यक्रमों में व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अपनाते हुए;

4.7 आंकड़े एकत्र किया जाना

4.7.1 कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित आंकड़ों का समेकन करते हुए, कार्रवाई करते हुए प्रमुख मुद्दों को प्रथमिकता देते हुए, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्ययन अथवा सर्वेक्षणों या परियोजनाओं का आयोजन करते हुए;

4.7.2 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी एक राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से विभिन्न स्टेकहोल्डरों में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित सूचना का पुनः प्रवर्तन और आदान-प्रदान करते हुए;

4.7.3 एक्सपोजर के उपायों, और वर्तमान में बाहर रखे गए व्यावसायिक समूहों जैसे स्व-नियोजित लोगों सहित, कार्य-संबद्ध चोट और रोग से संगत डेटा कवरेज का विस्तार करते हुए;

4.7.4 समय से रिपोर्टिंग और सूचना का प्रावधान रखने के लिए डेटा-प्रणालियों का विस्तार करते हुए;

4.7.5 सूचनाओं तक बेहतर पहुंच हेतु साधन विकसित करते हुए;

4.8 समीक्षा

4.8.1 कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित वर्तमान स्थिति का पता लगाने और एक राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करने के लिए एक आरंभिक समीक्षा और विश्लेषण करवाया जाएगा।

4.8.2 राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों की संगतता का मूल्यांकन करने के लिए पांच वर्षों अथवा उससे पहले यदि आवश्यकता महसूस हो तो उससे पहले राष्ट्रीय नीति तथा कार्रवाई कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी।

5. निष्कर्ष

5.1 स्थानीय संसाधन जुटाते हुए और ऐसी श्रमजीवी जनसंख्या तथा कमजोर समूहों को संरक्षण प्रदान करते हुए जहां पर्याप्त सामाजिक संरक्षण नहीं है, कार्यस्थल जोखिमों के आकलन और नियंत्रण करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक भीगीदारों की गहन संबद्धता विकसित करने की आवश्यकता है।

5.2 सरकार कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय नीति तथा विधानों की त्रिपक्षीय परामर्श, बेहतर प्रवर्तन, आंकड़ों के समेकन और विश्लेषण के माध्यम से समीक्षा करने; जोखिमकारी प्रचालनों और अन्य केन्द्रीय क्षेत्रों हेतु विशेष कार्यक्रम विकसित करने, प्रशिक्षण तंत्र का गठन करने, राष्ट्रव्यापी जागरूकता का सृजन करने, उपलब्ध संसाधन और विशेषज्ञता जुटाने की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.3 राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रम में सरकार तथा सामाजिक भागीदारों जैसे सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों द्वारा पूर्ण प्रतिबद्धता तथा भागीदारी पर विचार किया जाएगा। हमारे लक्ष्य और उद्देश्य यह होंगे कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप समर्पित तथा ठोस प्रयासों के माध्यम से कार्य और कामकाजी जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए।

******